पत्रकार वार्ता के दौरान डोली यात्रा के संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी व अन्य।

संक्षिप्त समाचार

अरुण खन्ना पर कोर्ट रोड पर जान लेवा हमला

संवाददाता देहरादून (ईएमएस)। कल रात्रि में बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अनिल गांधी, शराब की बार संचालक संजीव तलवार व अपने साथी अधिवक्ता व बाहरी लोगों को बुलाकर शराब के नशे में कार्यकारणी सदस्य अरुण खन्ना पर कोर्ट रोड पर जान लेवा हमला कर दिया गया जिसमें अरुण खन्ना बुरी तरह घायल हो गए।

कुमाऊंनी रोमांटिक गीत "रानीखेत की बबीता" हुआ लांच

संवाददाता देहरादून। वी देव प्रोडक्शन ने कुमाऊंनी रोमांटिक गीत "रानीखेत की बबीता" का पहला गीत गुरूवार को यू ट्यूब पर किया लांच। इस गीत को क्रिपाल मेवारी ने अपनी सुंदर आवाज दी है, जिसके बोल "बबीता शर्मिली मुखरी....." है। इस गीत से अल्मोड़ा जिले के बग्वालीपोखर, बैनाली गांव के बॉबी प्रिंस डेब्यू कर रहे हैं। जिनका साथ प्रीति आर्या ने दिया है। बॉबी प्रिंस ने बताया कि रानीखेत की बबीता कुमाऊंनी रोमांटिक गीत है। जिसकी शूटिंग अल्मोड़ा के भिखियासैंड़ की सुंदर वादियों में की गयी है। इसके अलावा इसमें तीन गीत और हैं जो अगले महीने तक रिलीज हो जायेगें। बॉबी ने बताया कि यह गीत काफी अच्छा बना है और लोगों को पसंद भी आ रहा है।

केटीएम ने दून में शानदार स्टंट शो का आयोजन किया

संवाददाता देहरादून। केटीएम, यूरोपीय रेसिंग दिग्गज, ने देहरादून में शानदार केटीएम स्टंट शो का आयोजन किया। इसका आयोजन पेशेवर स्टंट राइडर्स के शानदार स्टंट राइड्स एवं ट्रिक्स का प्रदर्शन करने के लिये किया गया था। इस स्टंट शो का आयोजन ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून में किया गया। पेशेवर स्टंट टीमों ने केटीएम ड्यूक्स पर असाधारण स्टंट शो का प्रदर्शन किया।

पूर्व मुख्यमंत्रियों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका

आदेश

छह माह के भीतर बाजार दर से बकाया किराया जमा करने का आदेश

सरकार चाहे तो दिवंगत एनडी तिवारी की संपत्ति से किराया वसूल सकती है

संवाददाता

देहरादून/नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों को बड़ा झटका देते हुए उन्हें दी गई सुविधाओं से संबंधित समस्त शासनादेश रद कर दिए। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों पर बकाया किराया बाजार दर पर छह माह के भीतर जमा करने के आदेश पारित किया है। साथ ही सरकार को चार माह के भीतर बिजली, पानी, गनर, टेलीफोन, पेट्रोल सति अन्य खर्चों का चार माह में आंकलन कर वसूलने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी पर बकाया मामले में कहा है कि यदि सरकार चाहे तो उनकी संपत्ति से किराया वसूल सकती है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ देहरादून की रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइलमेंट केंद्र रूलक की जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, एनडी तिवारी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, विजय बहुगुणा को सरकारी आवास समेत अन्य सुविधाओं का मामला उठाया गया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया दो करोड़ 85 लाख छह माह के भीतर बाजार दर पर वसूलने का आदेश पारित किया है। इसमें पूर्व सीएम निशंक पर 40.85 लाख, खंडूरी पर 46. 95 लाख, बहुगुणा पर 37.50 लाख, कोश्यारी पर 37.57 लाख, एनडी पर 1.12 करोड़ 98 हजार बकाया है। कोर्ट ने 2001 से अब तक पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास समेत अन्य सुविधाओं को लेकर जारी समस्त शासनादेशों को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया।

53 पेज के आदेश में कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि, यह चिंतनीय विषय है कि उनके द्वारा अपने सेवाकाल पूरा होने से पहले ही अपने लिए सारी सुविधाएं मंजूर करा ली।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि इन पर कुल मिलाकर 2.85 करोड़ रुपए की राशि लंबित है। इसमें भगत सिंह कोश्यारी पर 4757758 रुपये, स्व. एनडी तिवारी पर 11298182 , रमेश पोखरियाल निशंक पर 4095560, भुवनचंद्र खंडूड़ी पर 4659776 और विजय बहुगुणा पर 3750638 रुपये किराया बकाया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में ही आवास आवंटन अवैध घोषित किये जाने के बाद अब इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की उम्मीद नहीं है।

माना जा रहा है कि उनके पास किराया जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा कि किराए के अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों को बिजली, पानी, पेट्रोल सहित अन्य सुविधाओं पर भी सरकार ने 13 करोड़ की राशि खर्च की है। याचिका में इसकी वसूली की मांग भी की गई।

बाबा विश्वनाथ व मां जगदीशिला की 20वीं डोली रथयात्रा 18 से होगी शुरु

संवाददाता देहरादून। विश्वनाथ व मां जगदीशिला डोली रथयात्रा पर्यटन विकास समिति विशोन पर्वत ग्यारह गांव हिंदाव टिहरी गढ़वाल द्वारा आयोजित की जाने वाली बाबा विश्वनाथ व मां जगदीशिला की 20वीं डोली रथयात्रा 18 मई से शुरू होगी। यह 26 दिवसीय डोली यात्रा 12 जून तक चलेगी। डोली यात्रा उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 10 हजार पांच सौ किमी की दूरी तय करेगी।

कचहरी रोड स्थित सौरभ होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में डोली रथ यात्रा के संयोजक पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथाणी ने बताया कि डोली यात्रा का आयोजन विश्व शांति, एक हजार धाम चिन्हीकरण, पर्यावरण संरक्षण व बंजर भूमि को उपयोगी बनाने, जड़ी–बूटी प्रोत्साहन, संस्कृत भाषा के उन्नयन और पवित्र धामों में प्लास्टिक एवं पॉलीथिन प्रतिबंध के लिए जनजागरूकता के उददेश्य से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डोली विशोन पर्वत से प्रस्थान कर 17 मई को रायवाला स्थित भक्त केएस लुठियागी के निवास पर पहुंचकर वहां रात्रि विश्राम करेगी।

247 दुकानें न ब्रिकी होने से अब तक 600 करोड़ का घाटा

संवाददाता देहरादून। प्रदेशभर की 247 लाइसेंसी देशी–विदेशी शराब की दुकान बिक्री न होने के चलते आबकारी विभाग को अब तक इस वित्तीय वर्ष का 600 करोड़ का घाटा हो चुका है। जो आने वाले दिनों में और अधिक बढ़ सकता है। समय बीतने के साथ लगातार घाटे की रकम बढ़ने से आबकारी विभाग की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अब अपने सालाना राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने के दबाव में पूर्व वर्षों की भांति शराब बिक्री के लिए अब सरकार एजेंसियों का सहारा लेने की योजना बनाई जा रही है। आबकारी विभाग को सरकारी मंडी समितियों द्वारा शराब बिक्री करने में अतिरिक्त मैन पॉवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहीं घाटे का राजस्व पूरा करने के साथ इस कार्य में पारदर्शिता भी आएगी।

शीतकालीन सत्र में सदन में उठायेंगें पूर्व कर्मचारियों का मामला

भरोसा

- पूर्व कर्मचारियों के समर्थन में उतरे विधायक व पूर्व विधायक

देहरादून। **(ईएमएस)**

समायोजन, बहाली एवं पूर्व की भांति वेतन भत्ते दिये जाने की मांग को लेकर आपातकालीन सेवा 108 एवं खुशियों की सवारी के पूर्व फील्ड कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन को जारी रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया और उनके समर्थन में पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार, पूर्व विधायक भीमलाल आर्य व भाजपा नेता रविन्द्र जुगरान ने समर्थन दिया है और कहा कि अब प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जायेगी और इस मामले को शीतकालीन सत्र में सदन में उठाया जायेगा।

धरना स्थल पर उत्तराखंड 108 एवं केकेएस फील्ड कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी मांगों के समाधान के लिए दिये गये अनिश्चितकालीन धरने को जारी रखा। इस अवसर बेरोजगारों को अपना समर्थन देने पहुंचे पुरोला विधायक राजकुमार ने कहा है कि यह लड़ाई केवल 108 व खुशियों की सवारी के कर्मचारियों की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के उन बेरोजगारों की है जो आज नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे है और इसी संघर्ष के चलते हुए वह भी विधायक बने है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है और जो प्रशिक्षित कर्मचारी थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अप्रशिक्षित कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है जो लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे है यह प्रदेश के लिए चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा कि आज स्वास्थ्य सेवायें प्रदेश भर में चरमरा गई है और जो 108 आपातकालीन सेवा है उसका नाम भी बदनाम किया जा रहा है।

कोई कार्यवाही नहीं की गई है: संघ के महामंत्री विपिन जमलोकी ने कहा कि आपातकालीन सेवा 108 के लगभग 717 कर्मचारियों पर संकटहै और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजा गया था और इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक इस ओर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे रोष बना हुआ और आज उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है।

सफाई कर्मियों के लिए लागू किया जाए नया न्यूनतम वेतन

संवाददाता देहरादून। नये वार्डों के गठन के उपरांत कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए सफाई व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्स से किए जाने का यूनियन ने घोर विरोध किया है। शुक्रवार को इस मामले को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन ने नगर आयुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया है। यूनियन ने यह भी मांग की है कि न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से नगर निगम में नियोजित सफाई मजदूरों को नये शासनादेश के अनुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाए। समस्त सफाई मजदूरों का ईपीएफ की कटौती उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार की जानी सुनिश्चित की जाये। ज्ञापन में कहा गया कि नये वार्डो के गठन के उपरांत कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए सफाई व्यवस्था के लिए 600 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाये।

शनैश्चरी अमावस्या 4 को

संवाददाता देहरादून। शनैश्चरी अमावस्या 4 मई को पड़ रही है। यह दिन शनि देव को प्रसन्न के लिए सबसे अच्छा होता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून
से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०-
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।